फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती कैली बनाम गोपाल (वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र ///-128 नं० 34 सन् 2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
..2.23	वाद / प्रार्थनापत्र वाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28.2.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
28.2.23	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] / [illegible] कार रखने से पत्रावली दिनांक 14.3.23 को पेश हो।	
14.3.23	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 28.3.23 को पेश हो।	
28.3.23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा कूक कूक कर आवाजें दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible] लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 13:43:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 34/23 प्रा०पत्र

1– श्रीमती फेली w/o श्री नानु रेगर निवासी- मेलियारा तहसील- माण्डल (वगैरा)

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री गोपाल s/o श्री आमरा रेगर निवासी- माण्डल तहसील- माण्डल (वगैरा)
(प्रअंकित प्रा०पत्र अनुसार)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 28-03-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम......मेलियारा......पटवार हल्का......लाछुड़ा......तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 ......734/221......कुल किता......01......रकबा......1.0749......हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक......06-02-23......को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......मेलियारा......पटवार हल्का......लाछुड़ा......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं......734/221......कुल किता......01......रकबा......1.0749......हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक......मौजा......को......500/-......रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर द्वारा [illegible] गणमान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार [illegible] कर [illegible]रगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 13:43:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा